(का.) 07692 - 220444
(नि.) 07692 - 220301
(फैक्स) 07692 - 220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// संशोधित आदेश //

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / 2982 /एस.डब्ल्यू. /2020 सिवनी, दिनांक 28.04.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2975 दिनांक 28 अप्रैल, 2020 के पैरा दो में वर्णित प्रतिबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सूची में निम्नानुसार ग्रामों को सम्मिलित किया जाता हैं -

* तहसील कुरई अंतर्गत ग्राम पिपरवानी,
* तहसील धनौरा अंतर्गत ग्राम सुनवारा, कुडारी
* तहसील बरघाट अंतर्गत ग्राम बोरी
* तहसील केवलारी अंतर्गत ग्राम अहरवाडा, खापाबाजार,
* तहसील घंसौर अंतर्गत ग्राम भिलाई, केदारपुर
* तहसील लखनादौन अंतर्गत ग्राम नागनदेवरी, दरगडा, मोहगांव, धनककडी, मढी, पाटन, बीबी

ऊपर वर्णित क्षेत्रों में इस कार्यालय के पूर्व जारी आदेश क्रमांक 2932 दिनांक 19 अप्रैल, 2020 के अनुसार सम्पूर्ण कडिकाएँ प्रभावशील रहेगी, कर्फ्यू जारी रहेगा एवं समस्त प्रतिष्ठान, दुकानें बंद रहेगी। **हाट बाजार सम्पूर्ण सिवनी जिले में प्रतिबंधित रहेगें।**

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(प्रवीण सिंह)
जिला दण्डाधिकारी
जिला- सिवनी

Scanned with CamScanner

पृ /क्रमांक. / 2982-A/ एस.डब्ल्यू. / 2020 सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल, 2020

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर ।
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाडा।
9. पुलिस अधीक्षक सिवनी ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी ।
11. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी /अपर कलेक्टर, सिवनी ।
12. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,जिला सिवनी ।
13. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी।
14. समस्त एस ओ.डी.(पुलिस) जिला सिवनी ।
15. थाना प्रभारी, थाना आदेश का कडाई जिला सिवनी की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त .... से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
16. उप संचालक, जन संपर्क सिवनी की ओर आदेश का प्रकाशन हेु अग्रेषित ।
17. प्रभारी अधिकारी, कलेक्टोरेट, एन.आई.सी., सिवनी की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी ।
19. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी ।
20. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिवनी ।
21. जिला परिवहन अधिकारी, सिवनी ।
22. जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी ।
23. सम्बंधित समस्त अधिकारी ।

जिला दण्डाधिकारी
सिवनी

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / 2975 /एस.डब्ल्यू. /2020 सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल, 2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2932/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 19 अप्रैल, 2020 एवं आदेश क्रमांक 2965/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी दिनांक 25.04.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में कर्फ्यू लगाकर, लॉकडाउन आदेश का सख्ती से पालन कराए जाने सम्बंधित आदेश पारित किया गया हैं।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते **हुए कर्फ्यू अवधि दिनांक 28-04-2020 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 30-04-2020 की रात्रि 12 बजे** तक की जाती है। **निम्न ग्रामीण क्षेत्रों को छोडकर शेष ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू को शिथिल** किया जाता है । नगरीय क्षेत्र (सिवनी . बरघाट, लखनादौन) पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगें । जिला सिवनी के प्रतिबंधित क्षेत्र है –

1. नगरीय क्षेत्र – सिवनी, बरघाट, लखनादौन
2. ग्रामीण क्षेत्र –
   a) कान्हीवाड़ा, बंडोल, गोपालगंज, भोमा, लखनवाड़ा, बखारी
   b) अरी, गंगेरुआ, धारना, आष्टा, बहराई
   c) केवलारी , पलारी, ऊगली, चन्दनवाड़ा, पांडिया छपारा, छिंदा
   d) छपारा, चमारी, केकड़ा, भीमगढ़, खुर्सीपार, पहाडी
   e) गणेशगंज, सनाई डोंगरी, धूमा, सिहोरा, सिरमंगनी, आदेगांव, करापदोल, सांगईमाल, नागटोरिया, हमीरगढ
   f) घँसौर, कहानी, बिनेकी / गोरखपुर, शिकारा, किंदरई
   g) कुरई, खवासा, मोहगांव, सुकतरा, बादलपार, चक्किखमरिया, धोबिसर्रा
   h) धनोरा, मझगवां

उपरोक्त क्षेत्रों को छोडकर शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें (मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार/शराब, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें, छोडकर) खुले रहेगी व आर्थिक गतिविधियॉ सम्पन्न की जा सकेगी । इस दौरान दुकानदार को निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा –

1. कोई भी दुकानदार किसी भी ऐसे व्यक्ति को सामग्री विक्रय नहीं करेगा, जिन्होनें मुंह पर मास्क न लगाया होगा ।
2. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, 2 गज दूरी में गोले बनाकर ही क्रेता को खडे करेगें ।
3. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यहां वहां नहीं थूकेगा ।
4. दुकान पर एक समय में दुकानदार, स्टॉफ सहित 5 व्यक्ति से अधिक एकत्र नहीं रहेगें, ग्राहक संख्या अधिक होने पर दुकानदार क्रमशः सामग्री का विक्रय करेगें ।

Scanned with CamScanner

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है. तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी में आवेगा।

कर्फ्यू आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में दुकाने खुलने हेतु शिथिल किया गया है. अत: आदेश की शेष शर्ते एवं कंडिकाएं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2932/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी. दिनांक 19 अप्रैल. 2020 के अनुसार यथावत रहेगी।

(प्रवीण सिंह)
जिला दण्डाधिकारी
सिवनी

पृ /क्रमांक. / 2975-A/ एस.डब्ल्यू/ 2020 सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल, 2020

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर ।
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाडा।
9. पुलिस अधीक्षक सिवनी ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी ।
11. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारीरअपर कलेक्ट/, सिवनी ।
12. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,जिला सिवनी ।
13. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी।
14. समस्त एस ओ.डी.(पुलिस) जिला सिवनी ।
15. थाना प्रभारी, थाना आदेश का जिला सिवनी की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त .... कडाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
16. उप संचालक, जन संपर्क सिवनी की ओर आदेश का प्रकाशन हे अग्रेषित ।
17. प्रभारी अधिकारी, कलेक्टोरेट, एन.आई.सी., सिवनी की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी ।
19. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी ।
20. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिवनी ।
21. जिला परिवहन अधिकारी, सिवनी ।
22. जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी ।
23. सम्बंधित समस्त अधिकारी ।

जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

Scanned with CamScanner